

प्रेस विज्ञप्ति थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 21-07-2021

स्वयं की अपहरण की साजिश रचने तथा परिवारजनों से धन की उगाही करने वाला गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर एवम् क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ की देखरेख में प्रभारी व0उ0नि0 शाहपुर मय उ0नि0 विज्ञानकर सिंह मय हमराह आरक्षी राजकुमार व आरक्षी मिथलेश कुमार के मु0अ0सं0 – 308/2021 धारा – 364 भादवि के अपहृत राजेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र सत्यनायराण लाल निवासी 328 - ए कलकत्ता रेलवे काँलोनी थाना शाहपुर गोरखपुर की सफल बरामदगी अन्दर 24 घण्टे में की गयी तथा विवेचना में साक्ष्य के क्रम: में राजेन्द्र कुमार गौड़ स्वयं की अपहरण की साजिश रचने तथा परिवारजनों से पैसा मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में 364 भादवि का विलोपन करते हुए धारा 195 सपठित धारा 364क,506 भादवि की बढोत्तरी कर अपहृत / अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

1. राजेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र सत्यनायराण लाल निवासी 328- ए कलकत्ता रेलवे काँलोनी थाना शाहपुर गोरखपुर।

बरामदगी माल-

1. 02 अदद मोबाइल फोन
2. 01 अदद मोटरसाईकिल (बुलेट)

पंजीकृत मुकदमा-

मु0अ0सं0 – 308 /2021 धारा - 195 सपठित धारा 364क,506 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री विज्ञानकर सिंह थाना शाहपुर गोरखपुर।
2. आरक्षी राजकुमार थाना शाहपुर गोरखपुर।
3. आरक्षी मिथलेश कुमार थाना शाहपुर गोरखपुर।